



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4761-औ०सं०/2017-116/ए०एस०/96

दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर।

ई-मेल

## शुद्धि पत्र

विषय:- वर्ष 2015-2016 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं०-4755-औ०सं०/2017-116/ए०एस०/96 दिनांक 10.10.2017 के बिन्दु सं०-09 निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

**बिन्दु सं०-9** - सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी०पी०एफ० में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी०पी०एफ० खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी०पी०एफ०) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।

आदेश सं०-4755-औ०सं०/2017-116/ए०एस०/96 दिनांक 10.10.2017 के अन्य बिन्दु पूर्ववत् रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-4761-(1) औ०सं०/2017/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ०प्र० उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०) के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) एवं (निधि प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
महाप्रबन्धक (औ०सं०)